PAPER-III
LAW

Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) __________________________
   (Name) ____________________________
2. (Signature) __________________________
   (Name) ____________________________

Roll No. | | | | | | | | |

(In figures as per admission card)

Roll No.________________________________

(In words)

J 5 8 1 1

Time : 2 $^{1}/_{2}$ hours] [Maximum Marks : **200**

Number of Pages in this Booklet : **32** Number of Questions in this Booklet : **19**

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answer to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

   No Additional Sheets are to be used.
3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
   (i) To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
   (ii) **Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, or use abusive language or employ any other unfair means, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. **Use only Blue/Black Ball point pen.**
9. **Use of any calculator or log table etc., is prohibited.**

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए ।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुए रिक्त स्थान पर ही लिखिये ।

   इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है ।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी । पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे, जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
   (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी कागज की सील को फाड़ लें । खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें ।
   (ii) **कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं । दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें । इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे । उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा ।**
4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है ।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर नियत स्थान के अलावा अपना नाम, रोल नम्बर, फोन नम्बर या कोई भी ऐसा चिह्न जिससे आपकी पहचान हो सके, अंकित करते हैं अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, या कोई अन्य अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं ।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें ।
8. **केवल नीले/काले बाल प्वाईंट पेन का ही इस्तेमाल करें ।**
9. **किसी भी प्रकार का संगणक (केलकुलेटर) या लॉग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है ।**

LAW
विधि

PAPER – III
प्रश्नपत्र – III

Note : This paper is of **two hundred (200)** marks containing **four (4)** sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र **दो सौ (200)** अंकों का है एवं इसमें **चार (4)** खंड हैं । अभ्यर्थी इनमें समाहित प्रश्नों के उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार दें ।

SECTION – I
खंड – I

Note : This section consists of **two** essay type questions of **twenty (20)** marks, each to be answered in about **five hundred (500)** words each. **(2 × 20 = 40 marks)**

नोट : इस खंड में **बीस-बीस** अंकों के **दो** निबन्धात्मक प्रश्न हैं । प्रत्येक का उत्तर लगभग **पाँच सौ (500)** शब्दों में अपेक्षित है । **(2 × 20 = 40 अंक)**

1. Need of a strong anti-corruption legislation in India.
एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी विधायन की भारत में आवश्यकता ।

OR / अथवा

Rule of law and Good governance.
विधि का शासन एवं सुशासन ।

2. The protection given under the Constitution of India against Arbitrary Arrest & Detention.

भारतीय संविधान में मनमानी गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध दिया गया संरक्षण ।

OR / अथवा

Judicial Review of Administrative discretion.

प्रशासकीय विवेक का न्यायिक पुनर्विलोकन ।

OR / अथवा

Changing public opinion on crime concept.

अपराध की अवधारणा पर बदलता लोकमत ।

OR / अथवा

Importance of Forest legislations in the Protection of Environment.

पर्यावरण संरक्षण में वन विधायन का महत्त्व ।

OR / अथवा

Features of Global Trade Regime.

वैश्विक व्यापार शासन प्रणाली के लक्षण ।

OR / अथवा

Live in Relationship.

लैंगिक सम्बंध ।

OR / अथवा

Prevention & Control of Terrorism – The Role of NHRC.

आतंकवाद का निवारण एवं नियंत्रण – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका ।

OR / अथवा

Business problems and legal solutions under the Negotiable Instruments Act.

व्यापारिक समस्याएँ एवं पराक्रम्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत विधिक समाधान ।

OR / अथवा

'Collective Bargaining'.

सामूहिक सौदेबाजी ।

SECTION – II

खंड – II

Note : This section contains **three (3)** questions from each of the electives/specializations. The candidate has to choose only one elective/specialization and answer all the **three** questions contained therein. Each question carries **fifteen (15)** marks and is to be answered in about **three hundred (300)** words. **(3 × 15 = 45 marks)**

नोट : इस खंड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई / विशेषज्ञता से **तीन (3)** प्रश्न हैं । अभ्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई / विशेषज्ञता को चुनकर उसी के तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है । प्रत्येक प्रश्न **पन्द्रह (15)** अंकों का है व उसका उत्तर लगभग **तीन सौ (300)** शब्दों में अपेक्षित है । **(3 × 15 = 45 अंक)**

Elective – I

विकल्प – I

Constitutional Law of India

भारत की संवैधानिक विधि

3. The fundamental principle of Criminal Justice system is that 'No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once'. – Comment.

   आपराधिक न्याय व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है कि 'किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जायेगा ।' टीका कीजिए ।

4. How far the Independence of Judiciary is ensured under the Constitution of India ?

   न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भारत के संविधान के अंतर्गत कहाँ तक सुनिश्चित किया गया है ?

5. In the light of the decision of the Supreme Court in *D.C. Wadhwa v. State of Bihar*, examine the ordinance making power of the Governor under the Constitution of India.

   डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य के निर्णय के आलोक में भारत के संविधान के अंतर्गत गवर्नर के अध्यादेश-निर्मिती शक्ति का परीक्षण कीजिए ।

OR / अथवा

Elective – II

विकल्प – II

Administrative Law

प्रशासी विधि

3. Explain the doctrine of 'audi alterem partem' with the help of decided cases.

   'दूसरे पक्ष को भी सुनो' के सिद्धान्त को निर्णीत वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए ।

4. What are the controls on the abuse of administrative discretion in India ?

भारत में प्रशासी विवेक के दुरूप्रयोग पर कौन कौन से नियंत्रण हैं ?

5. How far the institution of Lokayukta is successful in India ? Explain critically.

भारत में लोकायुक्त की संस्था कहाँ तक सफल है ? आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।

OR / अथवा

Elective – III

विकल्प – III

Legal Theory

विधिक सिद्धान्त

3. Discuss Kelsen's Pure Theory of Law.

केल्सन के विधि के शुद्ध सिद्धान्त की विवेचना कीजिए ।

4. Possession is nine points of law – Elucidate.

कब्जा विधि का नौ बिन्दु है । स्पष्ट कीजिए ।

5. Rights and duties are co-relative. Explain.

अधिकार एवं कर्तव्य सहसंबंधित है । व्याख्या कीजिए ।

OR / अथवा

Elective – IV

विकल्प – IV

Criminal Law

आपराधिक विधि

3. Both crime and criminals are looked upon with greatest hatredness by all sections of society. In the light of this statement critically examine the meaning and definition of crime.

'अपराध एवं अपराधियों को समाज के सभी वर्गों द्वारा अत्यधिक घृणा से देखा जाता है ।' इस कथन के आलोक में अपराध के अर्थ एवं परिभाषा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

4. Explain the doctrine of vicarious liability and state its justification.

प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए तथा इसके औचित्य का वर्णन कीजिए ।

5. Define and distinguish between 'Criminal Breach of Trust' and 'Cheating'.

आपराधिक न्यास-भंग तथा छल को परिभाषित कीजिए तथा इनमें अंतर कीजिए ।

OR / अथवा

Elective – V
विकल्प – V
Environmental Law
पर्यावरण विधि

3. The Environment Protection Act, 1986 is an umbrella legislation. Comment and assess the significance of this legislation in light of its provisions and case law.

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एक छतरी विधायन है । टीका कीजिए तथा इसके प्रावधानों एवं निर्णयज विधि के आलोक में इस विधायन के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए ।

4. Explain the meaning and importance of 'Environmental Impact Assessment' and examine the adequacy and effectiveness of the law relating to environmental impact assessment. Refer to decided cases where appropriate.

'पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन' के अर्थ एवं महत्त्व को स्पष्ट कीजिए तथा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी विधि की पर्याप्तता एवं प्रभाविकता का परीक्षण कीजिए । निर्णीत वादों का यथायोग्य उल्लेख कीजिए ।

5. While referring to relevant Constitutional provisions and case law discuss the evolution, nature and content of the right to safe and decent environment in India.

सुसंगत संवैधानिक प्रावधानों एवं निर्णयज-विधिग उल्लेख करते हुए भारत में सुरक्षित एवं बेहतर पर्यावरण के अधिकार के उद्विकास, प्रकृति एवं अन्तर्वस्तु की विवेचना कीजिए ।

OR / अथवा

Elective –VI
विकल्प –VI
Public International Law
लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि

3. "The real importance of international law lies not in the validity or otherwise of its claim to be law, but in the impact it makes on the conduct of international relations." In this context define international law and examine its nature.

"अन्तर्राष्ट्रीय विधि का वास्तविक महत्त्व विधि होने सम्बन्धी इसके दावे की वैधता अथवा अन्यथा में नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों के संचालन में इसके प्रभाव में निहित है ।" इस संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए तथा उसकी प्रकृति का परीक्षण कीजिए ।

4. ‘The jurisdiction of the International Court of Justice in contentious cases is based on the consent of States. Elucidate this statement and state the bases for the acquisition of jurisdiction by the ICJ.

‘प्रतिरोधी वादों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्यों की सहमति पर आधारित है । इस कथन का परिवर्धन कीजिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के अर्जन के आधारों का वर्णन कीजिए ।

5. While referring to collective security provisions of the U.N. Charter, examine the role of the UN Security Council in the Libyan crisis.

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सामूहिक सुरक्षा सम्बंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए लिबिया संकट में सुरक्षा परिषद की भूमिका का परीक्षण कीजिए ।

OR / अथवा

Elective – VII
विकल्प – VII
Family Law
कौटुंबिक विधि

3. “To obtain divorce by mutual consent, the consent of both spouses is needed at two stages.” Examine it in the light of recent judgements.

पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद की प्राप्ति हेतु दम्पति के सहमति की दो चरणों में आवश्यकता होती है । अद्यतन निर्णयों के प्रकाश में परीक्षण कीजिए ।

4. Who can lawfully take and give in adoption under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 ? Discuss with the help of decided cases.

हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कौन दत्तक ले एवं दे सकता है ? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए ।

5. Discuss the divorced Muslim Woman’s right to maintenance.

तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री का भरण-पोषण पाने के अधिकार की चर्चा कीजिए ।

OR / अथवा

Elective – VIII
विकल्प – VIII
Human Rights
मानवाधिकार

3. ‘Human rights are what nature demands and conscience comments. We are they and they are us’. In this context explain the meaning, nature and scope of human rights and critically examine their relationship with democracy and development.

‘मानवाधिकार वे हैं जिनकी प्रकृति माँग करती है और अन्तस्वेतना संस्तुति करती है । हम वे हैं और वे हम ।’ इस संदर्भ में मानवाधिकार के अर्थ, प्रकृति एवं विस्तार-क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए तथा लोकतंत्र एवं विकास के साथ इनके अन्तर्सम्बन्धों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

4. While explaining the concept of the rights of the child and the legal and philosophical basis underlying them. Enumerates the right of the child as set forth in the Convention on the Rights of the Child, 1989.

शिशु-अधिकारों के सम्प्रत्यय एवं इनके विधिक एवं दार्शनिक आधारों को स्पष्ट करते हुए शिशु अधिकार पर अभिसमय, 1989 में वर्णित शिशु-अधिकारों का प्रगणन कीजिए ।

5. Critically examine the role and functions of the (UN) Human Rights Committee in the implementation of the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights.

दीवानी एवं राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के क्रियान्वयन में (संयुक्त राष्ट्र) मानवाधिकार समिति की भूमिका एवं कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

OR / अथवा

Elective – IX
विकल्प – IX
Torts
अपकृत्य

3. Write short notes on the following.
   (a) Res Ipsa Loquitor
   (b) Innuendo
   (c) Law of Tort & law of Torts

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   (a) घटनायें स्वयं बोलती हैं
   (b) वक्रोक्ति
   (c) अपकृत्य की विधि एवं अपकृत्यों की विधि

4. Explain 'Consumer of goods' and 'Consumer of services'. Discuss also the rights of consumers.

'माल-उपभोक्ता' तथा 'सेवा-उपभोक्ता' को स्पष्ट कीजिए । उपभोक्ताओं के अधिकारों की विवेचना भी कीजिए ।

5. Describe the rule in Rylands Vs. Fletcher. Is this rule applicable in India ?

रिलैन्ड बनम फ्लेचर नियम का वर्णन कीजिए । क्या यह सिद्धान्त भारत में भी लागू होता है ?

OR / अथवा

Elective – X
विकल्प – X
Commercial Law
वाणिज्यिक विधि

3. Critically analyse the judicial principles relating to nature and essentials of partnership.

भागीदारी की प्रकृति एवं आवश्यकताओं से सम्बंधित न्यायिक सिद्धान्तों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए ।

4. Explain the need, object and implication of law relating to statutory and implied conditions and warranties.

सांविधिक एवं विवक्षित शर्तों एवं अध्याभूतियों सम्बन्धी विधि की आवश्यकता, उद्देश्य एवं निहितार्थ की व्याख्या कीजिए ।

5. Critically examine judicial principles dealing with various parties to negotiable instruments, under the Negotiable Instruments Act.

पराक्रम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत पराक्रम्य लिखितों के विभिन्न पक्षकारों से सम्बंधित न्यायिक सिद्धान्तों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

SECTION – III

खंड – III

Note : This section contains **nine (9)** questions of **ten (10)** marks each, to be answered in about **fifty (50)** words. **(9 × 10 = 90 marks)**

नोट : इस खंड में **दस-दस (10-10)** अंकों के **नौ (9)** प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **पचास (50)** शब्दों में अपेक्षित है । **(9 × 10 = 90 अंक)**

6. Explain the content and scope of 'Expost Facto Laws' under the Constitution of India.

भारतीय संविधान के अन्तर्गत कार्योत्तर विधि के लक्षण एवं व्याप्ति को समझाइये ।

7. Discuss the meaning of 'Refugee' and distinguish it from Stateless persons.
शरणार्थी के अर्थ को समझाइये तथा राज्य विहीन व्यक्तियों से अन्तर कीजिये ।

8. The content and scope of 'Obiter dicta'.
प्रासंगिक निर्णय के लक्षण एवं व्याप्ति ।

9. Distinguish between 'Extortion' & 'Robbery'.
अपकर्षण एवं लूट में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

10. Explain the meaning of ‘sustainable development’.

धारणीय विकास के अर्थ को समझाइये ।

11. Conversion of an individual dispute into an industrial dispute.
व्यक्तिगत विवाद का औद्योगिक विवाद में परिवर्तित होना ।

12. Distinguish between 'Delegated Legislation' and 'Conditional Legislation'.

प्रत्यायोजित विधायन एवं सशर्त विधायन में अन्तर बताइये ।

13. Critically examine the provisions of law relating to restitution of conjugal rights under the Hindu Marriage Act, 1955.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुन: स्थापन सम्बन्धी विधि के प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

14. Vicarious liability of the State.

राज्य का प्रतिनिधित्व दायित्व ।

SECTION – IV
खंड – IV

Note : This section contains **five (5)** questions of **five (5)** marks each based on the following passage. Each question should be answered in about **thirty (30)** words.

(5 × 5 = 25 marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित परिच्छेद पर आधारित **पाँच (5)** प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **तीस (30)** शब्दों में अपेक्षित है । प्रत्येक प्रश्न **पाँच (5)** अंकों का है । **(5 × 5 = 25 अंक)**

That which is equitable is just, not legally just, simply a correction of legal justice. This is because law is universal, but it is not possible to make universal statements about some things. When the law makes a universal statement and a case arises out of it which is not embraced in that statement, it becomes right, when the law maker falls into error by oversimplifying, to correct the omission. An unjust and unreasonable law and one which is repugnant to the law of nature is not a law, but a perversion of law. A just legal system requires three features: The existence of rules relating to social behaviour and the resolving of disputes; the general applications of those rules; the impartial application of those rules.

The aim of the judge's office is to do justice between litigants; no more than that. In pursuit of this aim the judge is guided by the rules of right and reason, so that the law is moulded to social conditions and their needs.

यह कि जो साम्यापूर्ण है, न्यायपूर्ण है, विधिक न्यायपूर्ण नहीं, केवल विधिक न्याय की त्रुटि-परिमार्जन । ऐसा इसलिए कि विधि सार्वभौमिक है, लेकिन कुछ बातों के बारे में सार्वभौमिक कथन करना संभव नहीं होता है और इस कारण यदि कोई संकट उत्पन्न हो जाता है जो इस कथन से परिवेष्ठित नहीं है तो यह उचित हो जाता है कि विधि-निर्माता इस लोप के निवारण में अत्यंत सरलीकरण करके भूल कर बैठते हैं । एक अन्यायपूर्ण एवं अयुक्तिसंगत विधि जो प्रकृति की विधि के असंगत है । विधि की पथभ्रष्टता है । एक न्यायपूर्ण विधि व्यवस्था तीन अभिलक्षणों की अपेक्षा करती है : सामाजिक व्यवहार एवं विवाद-निस्तारण से सम्बन्धित नियमों की विधिमान्यता, इन नियमों की सामान्य प्रयुक्ति तथा इन नियमों का निष्पक्ष अनुप्रयोग । न्यायाधीश के पद का उद्देश्य वादकारियों में न्याय करना है, इससे अधिक नहीं । इस उद्देश्य के अनुसरण में न्यायाधीश उचित एवं तर्क के नियमों से निर्दिष्ट होते हैं ताकि विधि को सामाजिक स्थितियों एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके ।

15. State and explain relation between justice, equity and law ?

न्याय, साम्या एवं विधि के अन्तर्सम्बन्धों को बताइये तथा स्पष्ट कीजिए ।

16. What is wrong with universal statements and oversimplifications.

सार्वभौमिक कथन एवं अति-सरलीकरण की बुराई क्या है ?

17. What is perversion of law ? Why ?

विधि की पथभ्रष्टता क्या है ? क्यों ?

18. What are the requirements of a just legal system ?

न्यायपूर्ण विधि व्यवस्था की आवश्यकताएँ क्या हैं ?

19. Explain ideal judicial behaviour.

आदर्श न्यायिक व्यवहार को स्पष्ट कीजिए ।

Space For Rough Work

FOR OFFICE USE ONLY	
Marks Obtained	
Question Number	Marks Obtained
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Total Marks Obtained (in words) ....

(in figures) ....

Signature & Name of the Coordinator ....

(Evaluation) Date ....